

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] No. 61] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2015/माध 9, 1936

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2015/MAGHA 9, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 64(अ).—केन्द्रीय सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात

तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में उपाबंध-3 में:—

- (क) 'संगरोध' संबंधी पैरा ख के, उप पैरा (1) में,—
 - (i) "पोस्ट लार्वा (पी एल)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "पेरेंट पोस्ट लार्वा (पी.पी.एल.)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे:
 - (ii) "सभी स्टॉक" शब्दों के स्थान पर "सभी विशिष्ट पैथोजन मुक्त (एस.पी.एफ.) स्टॉक" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ख) पैरा घ संबन्धित 'एसपीएफ पी. मोनोडान के लिए हैचरिओं के प्रचालन के लिए सुरक्षा मानक और विनियम' में उप पैरा 10 से संबन्धित 'अप्राधिकृत हैचरिओं या फार्मों में स्टॉक को नष्ट करना' में "निरीक्षण दल द्वारा ऐसे स्टॉक को ऐसी किसी विधिप्रकार से/ जो उपयुक्त समझा जाए द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "निरीक्षण दल ऐसे स्टॉक को ज़ब्त कर, निबटारा और/या नष्ट कर सकेंगे जो वे उपयुक्त समझें शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 35029/4/2012-मा.(ट्रेड)]

राजा शेखर वुन्द्र, संयुक्त सचिव

525 GI/2015 (1)

नोट: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में सा.का.नि. 740(अ), तारीख़ 22 दिसम्बर, 2005 और पश्चातवर्ती सा.का.नि. 302(अ), तारीख़ 30 अप्रैल, 2009, सा.का.नि 914(अ), तारीख़ 18 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि 280(अ), तारीख़ 23 मार्च, 2012, सा.का.नि. 695(अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2012 और सा.का.नि. 667(अ), तारीख़ 15 सितंबर, 2014 द्वारा संशोधित करते हुए प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

$(Department\ of\ Animal\ Husbandry,\ Dairying\ and\ Fisheries)$

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely:—

In the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, in Annexure-III,-

- (a) in para B relating to 'QUARANTINE', in sub-para (1),-
 - (i) for the words, brackets and letters "post larvae (PL)", the words, brackets and letters "parent post larvae (PPL)" shall be substituted;
 - (ii) for the words "every stock", the words, brackets and letters "every specific pathogen free (SPF) stock" shall be substituted;
- (b) in para D relating to "SAFEGUARDS AND REGULATIONS FOR OPERATION OF HATCHERIES FOR SPF *P. MONODON*", in sub-para 10 relating to "Destruction of stock at unauthorised hatcheries or farms", for the words "the Inspection Team should destroy such stock through application of any methods/means deemed fit", the words "the inspection team may confiscate, dispose of and/or destroy the stock as it thinks fit" shall be substituted.

[F. No. 35029/4/2012-Fy (Trade)]

RAJA SEKHAR VUNDRU, Jt. Secv.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 740(E), dated the 22nd December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 302(E), dated the 30th April, 2009, G.S.R. 914(E), dated the 18th December, 2009, G.S.R. 280(E), dated the 23rd March, 2012, G.S.R. 695(E), dated 14th September, 2012 and GSR 667(E) 15 September 2014.